राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–4) 1379, 1380, 1381 व 1382/2016.......... जिला ....जयपुर...

उनवान : मैसर्स चोखी ढाणी रिसोर्ट्स प्रा0 लि0, एस–8, कॉर्पोरेट टॉवर, श्याम नगर, जयपुर

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन–तृतीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** **श्री राजीव चौधरी, सदस्य**	
28/06/2015	अपीलार्थी द्वारा ये चार अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः एस–93, एस–94, एस–95 व एस–96/RVAT/स्थगन/AA-I/16–17 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 13.06.2010 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर विभाग की टीम द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का दिनांक 14.06.2014 को सर्वेक्षण किया गया। उक्त सर्वेक्षण में पायी गयी अनियमितताओं के आधार पर वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश वेट अधिनियम की धारा 25, 26, 55 व 61 के तहत दिनांक 31.03.2016 को पारित करते हुए निम्न तालिका अनुसार कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गयी, साथ ही वसूली योग्य राशियों की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु वेट अधिनियम की धारा 38(4) के तहत प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किये गये, जो अपीलीय अधिकारी के पृथक–पृथक पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.06.2016 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, आंशिक राशि की वसूली स्थगित की गयी एवं आंशिक राशि वसूलनीय अवधारित की गयी। अतः अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में बकाया मांग राशि की वसूली के स्थगन हेतु निवेदन किया गया है। संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका अनुसार है :– लगातार.............2 28/06/16	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–4) 1379, 1380, 1381 व 1382/2016........... जिला ....जयपुर..

उनवान : मैसर्स चोखी ढाणी रिसोर्ट्स प्रा0 लि0, एस–8, कॉर्पोरेट टॉवर, श्याम नगर, जयपुर

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन–तृतीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

–: 2 :–

28/06/2015

अपील संख्या	अपीलीय आदेश क्रमांक	कर निर्धारण वर्ष
1	2	3
1379/2016	एस–93/RVAT/स्थगन/AA-I/15–16	2011–12
1380/2016	एस–94/RVAT/स्थगन/AA-I/15–16	2012–13
1381/2016	एस–95/RVAT/स्थगन/AA-I/15–16	2013–14
1382/2016	एस–96/RVAT/स्थगन/AA-I/15–16	2014–15

आरोपित			अपी.अधि. द्वारा स्वीकृत स्थगन	चाहा गया स्थगन
कर	ब्याज	शास्ति		
4	5	6	7	8
4,80,908	2,54,881	9,61,816	9,61,816	6,87,697
7,55,623	3,09,805	15,11,246	15,11,246	9,89,866
13,96,649	4,05,028	27,93,298	27,93,298	16,62,011
4,42,890	75,291	8,85,780	8,85,780	4,73,892

अपीलार्थी व्यवहारी के स्थगन प्रार्थना–पत्रों पर अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री मोती कोटवानी तथा राजस्व के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री आर. के. अजमेरा की बहस सुनी गयी।

उभयपक्ष की बहस सुनने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों तथा अपील व स्थगन आधारों पर विचार किये जाने के उपरान्त, **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्रों को स्वीकार करते हुए शेष वसूली योग्य मांग राशि, जो कि उपरोक्त तालिका के **कॉलम संख्या–8** में अंकित है, की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें।

उपरोक्तानुसार चारों अपीलों का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

28/06/16

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर

28/06/2016

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर